भारत सरकार

संस्कृति मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 2262

उत्तर देने की तारीख : 08 मार्च, 2021

पूर्वोत्तर क्षेत्र की सांस्कृतिक विविधता के संरक्षण हेतु योजनाएं

2262. श्री इंद्रा हांग सुब्बा :

क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यदि संस्कृति मंत्रालय के पास देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र की सांस्कृतिक विविधता को बचाने और संरक्षित करने के लिए विशिष्ट योजनाएं है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार के पास संकटापन्न संस्कृति और परंपराओं को संरक्षित करने के लिए कोई नीति है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

(श्री प्रहलाद सिंह पटेल)

संस्कृति एवं पर्यटन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(क) से (घ) : संस्कृति मंत्रालय व्यक्तियों और संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के माध्यम से पूर्वोत्तर क्षेत्र सहित कला और संस्कृति के विभिन्न रूपों को परिरक्षित, संवर्धित और संरक्षित करने हेतु विभिन्न वित्तीय अनुदान स्कीमें कार्यान्वित करता है। तथापि, संस्कृति मंत्रालय द्वारा देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र की सांस्कृतिक विविधता को संरक्षित और परिरक्षित करने हेतु कोई विशिष्ट स्कीम संचालित नहीं की जाती है। संस्कृति मंत्रालय द्वारा संचालित विभिन्न वित्तीय अनुदान स्कीमों का संक्षिप्त ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण संलग्न है (अनुलग्नक-I)।

इसके अलावा, देश भर में लुप्तप्रायः संस्कृति और परंपराओं सहित लोक कला एवं संस्कृति के विभिन्न रूपों को संरक्षित, संवर्धित और परिरक्षित करने के लिए, भारत सरकार ने सात क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्रों (जेडसीसी) की स्थापना की हैं जिनके मुख्यालय पटियाला, नागपुर, उदयपुर, प्रयागराज, कोलकाता, दीमापुर और तंजावुर में

स्थित हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र की समृद्ध एवं विविध परंपराओं और संस्कृति को संरक्षित एवं संवर्धित करने के लिए भारत सरकार ने दीमापुर में पूर्वोत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र (एनईजेडसीसी) और कोलकाता में पूर्वी क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र (ईजेडसीसी) (संस्कृति मंत्रालय के नियंत्रणाधीन स्वायत्त संगठन) की स्थापना की है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा एनईजेडसीसी के सदस्य राज्य हैं। दीमापुर एवं असम, मणिपुर, सिक्किम और त्रिपुरा ईजेडसीसी, कोलकाता के भी सदस्य राज्य हैं। ये जेडसीसी पूर्वोत्तर क्षेत्र में नियमित आधार पर विभिन्न सांस्कृतिक कार्यकलाप और कार्यक्रम आयोजित करते हैं। पूर्वोत्तर राज्यों की लोक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए सभी सात क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्रों द्वारा पूर्वोत्तर के महोत्सव-ऑक्टेव का आयोजन किया जाता है। इस प्रयोजनार्थ पूर्वोत्तर की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने हेतु सभी जेडसीसी पूर्वोत्तर क्षेत्र के कलाकारों को शामिल करते हैं। उल्लेखनीय है कि जेडसीसी को प्रदान किए गए बजट आबंटन का 93 प्रतिशत लोक और जनजातीय कला रूपों पर खर्च किया जाता है।

इसके अलावा, केन्द्रीय हिमालयी संस्कृति अध्ययन संस्थान, दाहुंग, अरुणाचल प्रदेश नामक स्वायत्त संगठन और पूर्वोत्तर भारत में स्थित निम्नलिखित तीन अनुदानग्राही निकाय पूर्वोत्तर क्षेत्र की लोक कला और संस्कृति के परिरक्षण एवं संवर्धन में कार्यरत हैं :

i. बौद्ध अध्ययन केन्द्र, तवांग मठ, अरुणाचल प्रदेश

ii. नामग्याल तिब्बत अध्ययन संस्थान, गंगटोक

iii. जीआरएल मठीय विद्यालय, बोमडिला, अरुणाचल प्रदेश

अनुलग्नक-I

पूर्वोत्तर क्षेत्र की सांस्कृतिक विविधता के संरक्षण हेतु योजनाएं के संबंध में दिनांक 08 मार्च, 2021 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2262 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

संस्कृति मंत्रालय द्वारा संचालित स्कीमों का संक्षिप्त विवरण

1. कला और संस्कृति के संवर्धन के लिए वित्तीय सहायता की स्कीम : इस स्कीम में पांच घटक हैं। स्कीम घटकों के नाम और विवरण निम्नानुसार हैं :

i. **रेपर्टरी अनुदान**

रेपर्टरी अनुदान स्कीम घटक का उद्देश्य नाट्य समूहों, रंगमंच समूहों, संगीत मंडलियों, बाल रंगमंच आदि जैसे मंचकला कार्यकलापों की सभी शैलियों तथा गुरु-शिष्य परंपरा के अनुरूप नियमित आधार पर कलाकारों को उनके संबंधित गुरु द्वारा प्रशिक्षण देने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। स्कीम के अनुसार 1 गुरु और अधिकतम 18 शिष्यों को सहायता प्रदान की जाती है।

सहायता की राशि- गुरु के लिए 10000/- रु. प्रतिमाह, शिष्य के लिए 1000-6000/- रुपए प्रतिमाह।

ii. **राष्ट्रीय महत्व के सांस्कृतिक संगठन**

इस स्कीम घटक का उद्देश्य वृहत पैमाने पर राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सांस्कृतिक कार्यकलापों के लिए सहायता प्रदान करना है। इस स्कीम के अंतर्गत 5 करोड़ रुपए तक की राशि की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

iii. **सांस्कृतिक समारोह और निर्माण अनुदान (सीएफपीजी)**

इस स्कीम का उद्देश्य गैर-सरकारी संगठनों/सोसाइटियों/न्यासों/विश्वविद्यालयों आदि को संगोष्ठियां, सम्मेलन, शोध कार्य, कार्यशालाएं, महोत्सव, प्रदर्शनियां, विचार-गोष्ठियां, नृत्य निर्माण, नाटक-थिएटर, संगीत आदि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। सीएफपीजी के अंतर्गत 5 लाख रुपए का अधिकतम अनुदान प्रदान किया जाता है (विशेष परिस्थितियों में 20 लाख रुपए)।

iv. **हिमालय की सांस्कृतिक विरासत के परिरक्षण एवं विकास के लिए वित्तीय सहायता**

इस स्कीम का उद्देश्य शोध, प्रशिक्षण तथा दृश्य-श्रव्य कार्यक्रमों के माध्यम से प्रचार-प्रसार द्वारा हिमालय की सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देना एवं परिरक्षित करना है। हिमालयी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले राज्यों अर्थात जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। किसी संगठन के लिए निधियन की राशि प्रति वर्ष 10.00 लाख रुपए होती है जिसे विशेष मामलों में 30.00 लाख रुपए तक बढ़ाया जा सकता है।

v. **बौद्ध/तिब्बती संगठनों के परिरक्षण एवं विकास के लिए वित्तीय सहायता**

इस स्कीम घटक के अंतर्गत बौद्ध/तिब्बती संस्कृति एवं परंपरा के प्रसार और वैज्ञानिक विकास तथा संबंधित क्षेत्रों में शोध में कार्यरत बौद्ध मठों सहित स्वैच्छिक बौद्ध/तिब्बती संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस स्कीम के अंतर्गत किसी संगठन को 30.00 लाख रुपए प्रति वर्ष तक निधियन प्रदान किया जाता है जिसे विशेष मामलों में 1.00 करोड़ रुपए तक बढ़ाया जा सकता है।

2. सांस्कृतिक अवसंरचना के सृजन के लिए वित्तीय सहायता की स्कीम

i. **स्टूडियो थियेटर सहित निर्माण अनुदान हेतु वित्तीय सहायता**

निर्माण अनुदान स्कीम घटक का उद्देश्य गैर सरकारी संगठनों, न्यासों, सोसाइटियों, सरकार द्वारा प्रायोजित निकायों, विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों आदि को सांस्कृतिक अवसंरचना के सृजन (अर्थात स्टूडियो थियेटर, सभागार, अभ्यास कक्ष, क्लासरूम आदि) और वैद्युत, वातानुकूलन, ध्वनिकी, प्रकाश एवं ध्वनि प्रणालियों आदि जैसी सुविधाओं के प्रावधान हेतु वित्तीय सहायता करना है। इस स्कीम घटक के अंतर्गत महानगरों में 50 लाख रुपए तक की राशि और अन्य शहरों में 25 लाख रुपए तक की अधिकतम राशि प्रदान की जाती है।

ii. **संबद्ध सांस्कृतिक कार्यकलापों के लिए वित्तीय सहायता**

इस उप-घटक का उद्देश्य सभी पात्र संगठनों को संबद्ध सांस्कृतिक कार्यकलापों के लिए दृश्य-श्रव्य अनुभव को संवर्धित करने हेतु परिसंपत्तियों के सृजन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है ताकि उन खुले/बंद क्षेत्रों/स्थानों पर नियमित आधार पर एवं महोत्सवों के दौरान लाइव प्रस्तुतियों का प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान किया जा सके। इस स्कीम घटक के अंतर्गत, लागू

शुल्कों एवं करों तथा प्रचालन एवं रखरखाव (ओ एंड एम) सहित सहायता की अधिकतम राशि 5 वर्षों के लिए निम्नानुसार होगी- (i) ऑडियो : 1.00 करोड़ रुपए; (ii) ऑडियो + वीडियो : 1.50 करोड़ रुपए।

iii. **टैगोर सांस्कृतिक परिसरों (टीसीसी) के लिए वित्तीय सहायता**

इस स्कीम घटक का उद्देश्य मंच प्रस्तुतियों (नृत्य, नाटक और संगीत) के लिए सुविधाओं और अवसंरचना युक्त सभागार जैसे नए बड़े सांस्कृतिक स्थानों के सृजन, प्रदर्शनियों, संगोष्ठियों, साहित्यिक कार्यकलापों, ग्रीन रुम आदि के सृजन के लिए गैर-सरकारी संगठनों, न्यासों, सोसाइटियों, सरकार द्वारा प्रायोजित निकायों, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के सरकारी विश्वविद्यालयों, केन्द्रीय / राज्य सरकार की एजेंसियों / निकायों, नगर निगमों, प्रतिष्ठित गैर-लाभ-अर्जक संगठनों आदि को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। यह स्कीम घटक मौजूदा सांस्कृतिक सुविधाओं (रबीन्द्र भवन, रंगशालाएं, बहुउद्देशीय सांस्कृतिक परिसर आदि) के जीर्णोद्धार, नवीकरण, विस्तार कार्य, परिवर्तन, स्तरोन्नयन, आधुनिकीकरण के लिए सहायता भी प्रदान करता है। इस स्कीम घटक के अंतर्गत 15 करोड़ रुपए तक की सहायता प्रदान की जाती है (विशेष परिस्थितियों में 50 करोड़ रुपए)।

3. कला और संस्कृति के संवर्धन के लिए छात्रवृत्ति एवं अध्येतावृत्ति की स्कीम

i. संस्कृति के क्षेत्र में उत्कृष्ट व्यक्तियों को अध्येतावृत्ति प्रदान करने की स्कीम

विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्रों में 25 से 40 वर्ष के आयु वर्ग (कनिष्ठ) और 40 वर्ष से अधिक आयु (वरिष्ठ) के उत्कृष्ट व्यक्तियों को प्रत्येक बैच वर्ष में सांस्कृतिक शोध के लिए 2 वर्ष की अवधि के लिए 10,000/- रुपए प्रतिमाह और 20,000/- रुपए प्रतिमाह की 400 तक अध्येतावृत्तियां (200 कनिष्ठ और 200 वरिष्ठ) प्रदान की जाती है।

ii विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्रों में युवा कलाकारों हेतु छात्रवृत्ति की स्कीम

प्रत्येक बैच वर्ष में 400 तक छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं। इस स्कीम के अंतर्गत 18 से 25 वर्ष के आयु वर्ग के उत्कृष्ट प्रतिभावान युवा कलाकारों को भारतीय शास्त्रीय संगीत; भारतीय शास्त्रीय नृत्य, रंगमंच, मूक अभिनय, दृश्य कला, लोक, पारंपरिक और स्वदेशी कलाओं तथा सुगम शास्त्रीय संगीत आदि के क्षेत्र में भारत में उन्नत प्रशिक्षण के लिए 2 वर्षों के लिए 5000/- रुपए प्रतिमाह की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

iii. सांस्कृतिक शोध के लिए टैगोर राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति

सांस्कृतिक शोध के लिए इस स्कीम घटक का उद्देश्य संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत विभिन्न संस्थाओं और देश में पहचान की गई अन्य सांस्कृतिक संस्थाओं को सुदृढ़ बनाना और सशक्त बनाना है ताकि विद्वानों/शिक्षाविदों को प्रोत्साहित करते हुए इन संस्थाओं के साथ आपसी हित की परियोजनाओं पर स्वयं को संबद्ध कर सके। इसके अंतर्गत अधिकतम दो वर्षों की अवधि के लिए 15 तक अध्येतावृत्तियां (80,000/-रुपए प्रतिमाह + आकस्मिक भत्ता) और 25 तक छात्रवृत्तियां (50,000/-रु. प्रतिमाह + आकस्मिक भत्ता प्रदान किया जाता है)।

4. कलाकारों हेतु पेंशन और चिकित्सा सहायता की स्कीम

इस स्कीम का उद्देश्य उन वयोवृद्ध कलाकारों और विद्वानों (इनकी आयु 60 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और वार्षिक आय 48000/- रुपए प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए) को 4000/- रुपए प्रति माह की पेंशन प्रदान करना है जिन्होंने कला, साहित्य आदि के उनके विशिष्ट क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, परन्तु अब वे अभावग्रस्त स्थितियों में रह रहे हैं। इस स्कीम में इन कलाकारों और उनके पति/पत्नी के लिए चिकित्सा सहायता की सुविधा उपलब्ध कराए जाने का भी प्रावधान है जिसके द्वारा उन्हें सरकार की सुविधाजनक और किफायती स्वास्थ्य बीमा स्कीम के अंतर्गत कवर किया जाता है। लाभार्थी की मृत्यु की स्थिति में वित्तीय सहायता उनके पति/पत्नी को स्थानांतरित कर दी जाती है।

5. सेवा भोज योजना

'सेवा भोज योजना' की स्कीम के अंतर्गत धर्मार्थ/धार्मिक संस्थाओं को जनता को मुफ्त भोजन वितरित किए जाने के लिए विशिष्ट कच्ची खाद्य सामग्रियों की खरीद पर उनके द्वारा भुगतान किए गए केन्द्रीय माल एवं सेवा कर (सीजीएसटी) और केन्द्र सरकार के एकीकृत माल एवं सेवा कर (आईजीएसटी) की हिस्सेदारी की प्रतिपूर्ति भारत सरकार द्वारा वित्तीय सहायता के रूप में की जाती है। सेवा भोज योजना स्कीम के अंतर्गत गुरुद्वारों, मंदिरों, धार्मिक आश्रमों, मस्जिदों, दरगाहों, गिरजाघरों, मठों, बौद्ध मठों आदि जैसे धर्मार्थ/धार्मिक संस्थाओं द्वारा वितरित किए जाने वाले मुफ्त 'प्रसाद' या मुफ्त भोजन या मुफ्त 'लंगर'/'भंडारा' (सामुदायिक रसोई) आदि शामिल हैं।

6. संग्रहालय अनुदान स्कीमें :

(i) संग्रहालय अनुदान : इस स्कीम का लक्ष्य और उद्देश्य नए संग्रहालयों की स्थापना करने और क्षेत्रीय, राज्य और जिला स्तर पर मौजूदा संग्रहालयों के सुदृढ़ीकरण और आधुनिकीकरण करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। कलाकृतियों के संग्रहों तथा कलात्मक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक या वैज्ञानिक महत्व की अन्य वस्तुओं का संरक्षण करना। देश भर के संग्रहालयों की कला वस्तुओं का डिजिटीकरण करना ताकि उनके चित्रों/सूची पत्रों को वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जा सके। संग्रहालय व्यावसायिकों का क्षमता निर्माण करना।

(ii) विज्ञान की संस्कृति के संवर्धन की स्कीम (एसपीओसीएस) : इस स्कीम का लक्ष्य और उद्देश्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विकास और लोगों के बीच वैज्ञानिक प्रवृत्ति और मनोवृत्ति उत्पन्न करने तथा आम जागरूकता का सृजन करना, अंतर्निवष्टि करना और कायम करने की दृष्टि से उद्योग और मानव कल्याण में इनके अनुप्रयोग को दर्शाना है।

7. अंतरराष्ट्रीय सांस्कृतिक संबंधों के संवर्धन की स्कीम

यह स्कीम सांस्कृतिक सोसाइटियों को विदेश में भारतीय संस्कृति को सक्रिय रूप से बढ़ावा देने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है जिससे विदेशी नागरिकों के बीच भारत के प्रति रुचि उत्पन्न करने हेतु भारतीय संस्कृति से संबंधित सांस्कृतिक कार्यकलाप आयोजित किए जाते हैं।

8. भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत और विविध सांस्कृतिक परंपराओं की सुरक्षा की स्कीम

इस स्कीम का उद्देश्य विभिन्न संस्थाओं, समूहों, व्यक्तियों, पहचान की गई गैर-एमओसी संस्थाओं, गैर-सरकारी संगठनों, शोधकर्ताओं और विद्वानों को सुदृढ़ एवं पुन:सशक्त बनाना है ताकि वे भारत की समृद्ध अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के सुदृढ़ीकरण, संरक्षण, परिरक्षण और संवर्धन के लिए कार्यकलाप/परियोजनाएं कर सकें।